


6
24

पगावली पेश डुरे, वकील प्राणीगण उपलित, विपक्षीगण
के सम्मन वास वायिल होकर प्राप्त हुए जिसे
शाफ किये गये। विपक्षीगण के कितनी बार रुक-
रुक कर आवाजे डिलायी जाने के बाद भी उपलित
नही, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का
आदेश दिया जाता है। वकील प्राणीगण का आ-पत्र लीकर
किया जाकर निर्णय दायग से लिखा जाकर शाफ क
किया गया। पगावली फौजल शुमार होकर नम्बर है ३३६०


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठाधीन अधिकारी - मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 193/24 मा.पत्र

- श्रीमती उच्चन देवी vs श्री ब्राह्मणजिवासी - भीम का खेडा त. गावडल (कौंस.)

बनाम

श्री रूपसिंह vs श्री ईश्वरसिंह राजपूत जिवासी - भीम का खेडा त. गावडल (कौंस.)
(पृष्ठांकित प्रकरण संख्या)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 06-06-24

::आदेशः

श्रीमती का ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निर्दिष्ट किया कि श्रीमती का पटवार हल्का दाता कला तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की पत्थरगढी नं. 704/345 कुल किता 01 रकबा 0.4047 हेक्टर में विपक्षीय आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जाये।

त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22-5-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को नोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का कारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार योग्य है।

::आदेशः

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर श्रीमती का पटवार दाता कला तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 704/345 कुल किता 01 रकबा 0.4047 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुस्तक जानकारी विवे हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख गिरीशक माण्डल 500 रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर स्थिति को बनाये रखते हुए गुरतकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जाये। फसल खली होने पर गढी नहीं की जाये।

सुपखण्ड अधिकारी
माण्डल

पि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

सुपखण्ड अधिकारी
माण्डल